न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या ...82/2021...

प्रथम पक्ष

सुरन तुरी वगै० बनाम अख्तार मियाँ वगै०

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / ~~नोटिस।~~

स्थानीय पुलिस बिरनी (अं०अ०) थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों में भूमि से संबंधित विवाद

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 144 दं० प्रं० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 01/07/2021 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- डोमनसिंघा, थाना - बिरनी, जिला- गिरिडीह

खाता सं०- 21, प्लॉट सं०- 11/16, रकबा- 2.60 एकड़

चौ० उ०- सिमाना कुसमर, द०- बोध्या मियाँ प्लॉट सं०- 08

पू०- बगडु सिंह, प०- सिमाना कुसमर।

लेखापित

अनु० प० अ०
बगोदर - सरिया

[signature] 7/6/2021
अनु० पदा०

01/07/2021 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।
अभिलेख क्रमांक 21/31 को रखें।

~~05.08.21~~
22.07.2021 ~~अभिलेख उपस्थित उभय पक्ष उपस्थित~~ | file S/C by next date. To 5/08/21.

05/08/21 प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता के उपस्थित/. द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल/. सुनवाई हेतु 12/08/21 को रखें।.

5/08

अनु० प०अ०

12/08/21 उभय पक्ष उपस्थित। Perused the petition filed by the petitioner as well as Show Cause by the O.P. and Carefully considered. Also considered the documents filed by the both the parties. Earlier no order has been passed u/s 144(1) Cr.P.C.

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	There is no report of breach of peace from either side. The period of sixty days from the date of notice has passed. Hence it is ordered that the instance case is filed. 17/08/21	

Digitally signed by Kundan Kumar
Date: 2021.08.23 12:02:10 +05:30
Location: 192.168.43.238